Continuation Note Sheet

23.09.2020

श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त पत्र क्रमांक [illegible]77 दिनांक 23.09.2020 के संलग्न निर्णय दिनांक 14.09.2020 के साथ पत्रावली प्राप्त हुई।

निर्णय का अवलोकन किया गया। श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.09.2020 में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की है कि अपीलांट को समाचार पत्र में नोटिस साया कराने का अंतिम अवसर देने के पश्चात् यदि नोटिस पेश नहीं किये जाते तो शेष रहे प्रतिवादीगण की तलबी बंद कर प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे। पत्रावली प्रेषित की है। प्रकरण को पुनः दर्ज कर पक्षकारान को सूचित किया जावे। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.10.2020 को पेश हो।

352
28.9.20
[illegible]

20-10-20 वादी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का प्रतिवादीगण के साथ समझौता हो चुका है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज कर दाखिल दफ्तर किया जावे।

वादी के निवेदन पर एवं वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहने पर वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। वाद पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

(उम्मेदसिंह [illegible])

Identified by P.S. Brar Adv.